प्रेस नोट

दिनांक 23.06.2025

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा जालसाजी करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना इटियाथोक पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 92/2025, धारा 190,191(2),115(2),351(3),352,318(4),338,336(3),340(2),61(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त-01. सुधांशु उपाध्याय पुत्र श्यामसुन्दर नि0 ग्राम गोपालपुर बरबण्डी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा इटियाथोक चौराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

प्रार्थिनी मीरा देवी ने थाना इटियाथोक मे लिखित तहरीर दी गयी कि उसके पिता की मृत्यु के उपरांत उनकी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करने हेतु विपक्षीगणों ने साजिश रचकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर वरासत दर्ज करवायी है। जब प्रार्थिनी ने विरोध किया तो विपक्षीगणों ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। वादिनी की तहरीर पर थाना इटियाथोक में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसमें आज दिनांक 23.06.2025 को थाना इटियाथोक द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त सुधांशु उपाध्याय पुत्र श्यामसुन्दर नि0 ग्राम गोपालपुर बरबण्डी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा इटियाथोक चौराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सुधांशु उपाध्याय पुत्र श्यामसुन्दर नि0 ग्राम गोपालपुर बरबण्डी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-92/2025, धारा 190,191(2),115(2),351(3),352,318(4),338,336(3),340(2),61(2) बीएनएस थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 कौशल किशोर सिंह।

02. हे0का0 आलोक तोमर।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 23.06.2025

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उम्मेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना तरबगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-151/2025, धारा 85,108 बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त दिलीप सिंह उर्फ हवलदार पुत्र मेवालाल, निवासी ग्राम लोहंगीपुरवा, थाना कोतवाली नगर, हालपता देवमनपुरवा, धौरहराघाट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को ग्राम देवमनपुरवा धोरहराघाट से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

प्रार्थिनी सुघरा पत्नी अशर्फीलाल निवासी रघुनाथपुर, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा द्वारा थाना तरबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उसकी पुत्री रानी की शादी दिलीप उर्फ हवलदार निवासी धौरहराघाट (देवमनिपुरवा), थाना तरबगंज से हुई थी। शादी के बाद दिलीप शराब के नशे में अक्सर रानी को मारता-पीटता व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। पति के अत्यधिक उत्पीड़न से तंग आकर रानी ने आत्महत्या कर ली है। वादिनी की तहरीर पर थाना तरबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकत हुआ। आज दिनांक 23.06.2025 को थाना तरबगंज पुलिस द्वारा वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त दिलीप सिंह उर्फ हवलदार पुत्र मेवालाल, निवासी ग्राम लोहंगीपुरवा, थाना कोतवाली नगर, हालपता देवमनपुरवा, धौरहराघाट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को ग्राम देवमनपुरवा धोरहराघाट से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. दिलीप सिंह उर्फ हवलदार पुत्र मेवालाल, निवासी ग्राम लोहंगीपुरवा, थाना कोतवाली नगर, हालपता देवमनपुरवा, धौरहराघाट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-151/2025, धारा 85,108 बीएनएस थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 कामेश्वर राय।

02. हे0का0 गयापति त्रिपाठी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 23.06.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा कैंप कार्यालय पर मोहर्रम को सकुशल संपन्न कराने हेतु जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं प्र0नि0/थानाध्यक्षों के साथ गूगल मीट के माध्यम से की गई समीक्षा गोष्ठी,कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिनांक 22.06.2025 की रात्रि आगामी मोहर्रम पर्व को शांति, सौहार्द व कानून-व्यवस्था के साथ सम्पन्न कराने के उद्देश्य से कैंप कार्यालय से जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों, प्रभारी निरीक्षकों/थानाध्यक्षों के साथ गूगल मीट के माध्यम से समीक्षा गोष्ठी की गई। गोष्ठी के दौरान महोदय ने संवेदनशील स्थानों की पहचान एवं सतर्कता हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि वह अपने-अपने थाना क्षेत्र में स्थित संवेदनशील स्थानों, ताजियादारियों के मार्गों एवं विवादग्रस्त क्षेत्रों की पूर्व पहचान कर वहां विशेष सतर्कता बरतने और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करना सुनिश्चित करें साथ ही शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखते हुए ऐसे व्यक्तियों की सूचीबद्ध पहचान की जाए जो पूर्व में अफवाह फैलाने, झगड़ा कराने या माहौल बिगाड़ने में संलिप्त रहे हैं। इनकी निगरानी हेतु बीट प्रभारी सक्रिय रहेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर निरोधात्मक कार्यवाही करेंगे। त्योहार के दौरान जुलूस मार्गों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों एवं संभावित विवादित स्थलों पर ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करे।सभी थाना प्रभारी स्थानीय शांति समिति/पीस कमेटी की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करते हुए उनके साथ समयबद्ध बैठकों का आयोजन कर समन्वय स्थापित करे तथा सभी धर्मगुरुओं व गणमान्य नागरिकों से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील करे। जुलूस एवं ताजियादारी निकालने के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। किसी भी आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों व मार्गों के उपयोग हेतु निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करवाया जाए। जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल की स्टैटिक एवं मोबाइल ड्यूटी लगाई जाएगी। साथ ही संभावित भीड़ नियंत्रण व आपात स्थिति से निपटने हेतु मॉक ड्रिल भी कराई जाए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शांति एवं सौहार्द के वातावरण में त्योहार सम्पन्न कराना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी अधिकारी सम्वेदनशीलता, सक्रियता एवं सतर्कता से कार्य करें। अंत में महोदय ने समस्त अधिकारियों से मैदान में सक्रिय रहकर जनसंपर्क करने, जनता में विश्वास बनाए रखने तथा किसी भी सूचना या विवाद पर तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 23.06.2025

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा जालसाजी करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना इटियाथोक पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 92/2025, धारा 190,191(2),115(2),351(3),352,318(4),338,336(3),340(2),61(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त-01. सुधांशु उपाध्याय पुत्र श्यामसुन्दर नि0 ग्राम गोपालपुर बरबण्डी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा इटियाथोक चौराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

प्रार्थिनी मीरा देवी ने थाना इटियाथोक मे लिखित तहरीर दी गयी कि उसके पिता की मृत्यु के उपरांत उनकी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करने हेतु विपक्षीगणों ने साजिश रचकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर वरासत दर्ज करवायी है। जब प्रार्थिनी ने विरोध किया तो विपक्षीगणों ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। वादिनी की तहरीर पर थाना इटियाथोक में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसमें आज दिनांक 23.06.2025 को थाना इटियाथोक द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त सुधांशु उपाध्याय पुत्र श्यामसुन्दर नि0 ग्राम गोपालपुर बरबण्डी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा इटियाथोक चौराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सुधांशु उपाध्याय पुत्र श्यामसुन्दर नि0 ग्राम गोपालपुर बरबण्डी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-92/2025, धारा 190,191(2), 115(2), 351(3), 352,318(4), 338,336(3), 340(2), 61(2) बीएनएस थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 कौशल किशोर सिंह।

02. हे0का0 आलोक तोमर।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 23.06.2025

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उम्मेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना तरबगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-151/2025, धारा 85,108 बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त दिलीप सिंह उर्फ हवलदार पुत्र मेवालाल, निवासी ग्राम लोहंगीपुरवा, थाना कोतवाली नगर, हालपता देवमनपुरवा, धौरहराघाट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को ग्राम देवमनपुरवा धोरहराघाट से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

प्रार्थिनी सुघरा पत्नी अशर्फीलाल निवासी रघुनाथपुर, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा द्वारा थाना तरबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उसकी पुत्री रानी की शादी दिलीप उर्फ हवलदार निवासी धौरहराघाट (देवमनिपुरवा), थाना तरबगंज से हुई थी। शादी के बाद दिलीप शराब के नशे में अक्सर रानी को मारता-पीटता व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। पति के अत्यधिक उत्पीड़न से तंग आकर रानी ने आत्महत्या कर ली है। वादिनी की तहरीर पर थाना तरबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकत हुआ। आज दिनांक 23.06.2025 को थाना तरबगंज पुलिस द्वारा वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त दिलीप सिंह उर्फ हवलदार पुत्र मेवालाल, निवासी ग्राम लोहंगीपुरवा, थाना कोतवाली नगर, हालपता देवमनपुरवा, धौरहराघाट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को ग्राम देवमनपुरवा धोरहराघाट से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. दिलीप सिंह उर्फ हवलदार पुत्र मेवालाल, निवासी ग्राम लोहंगीपुरवा, थाना कोतवाली नगर, हालपता देवमनपुरवा, धौरहराघाट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-151/2025, धारा 85,108 बीएनएस थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 कामेश्वर राय।

02. हे0का0 गयापति त्रिपाठी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 23.06.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा कैंप कार्यालय पर मोहर्रम को सकुशल संपन्न कराने हेतु जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं प्र0नि0/थानाध्यक्षों के साथ गूगल मीट के माध्यम से की गई समीक्षा गोष्ठी,कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिनांक 22.06.2025 की रात्रि आगामी मोहर्रम पर्व को शांति, सौहार्द व कानून-व्यवस्था के साथ सम्पन्न कराने के उद्देश्य से कैंप कार्यालय से जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों, प्रभारी निरीक्षकों/थानाध्यक्षों के साथ गूगल मीट के माध्यम से समीक्षा गोष्ठी की गई। गोष्ठी के दौरान महोदय ने संवेदनशील स्थानों की पहचान एवं सतर्कता हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि वह अपने-अपने थाना क्षेत्र में स्थित संवेदनशील स्थानों, ताजियादारियों के मार्गों एवं विवादग्रस्त क्षेत्रों की पूर्व पहचान कर वहां विशेष सतर्कता बरतने और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करना सुनिश्चित करें साथ ही शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखते हुए ऐसे व्यक्तियों की सूचीबद्ध पहचान की जाए जो पूर्व में अफवाह फैलाने, झगड़ा कराने या माहौल बिगाड़ने में संलिप्त रहे हैं। इनकी निगरानी हेतु बीट प्रभारी सक्रिय रहेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर निरोधात्मक कार्यवाही करेंगे। त्योहार के दौरान जुलूस मार्गों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों एवं संभावित विवादित स्थलों पर ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करे।सभी थाना प्रभारी स्थानीय शांति समिति/पीस कमेटी की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करते हुए उनके साथ समयबद्ध बैठकों का आयोजन कर समन्वय स्थापित करे तथा सभी धर्मगुरुओं व गणमान्य नागरिकों से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील करे। जुलूस एवं ताजियादारी निकालने के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। किसी भी आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों व मार्गों के उपयोग हेतु निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करवाया जाए। जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल की स्टैटिक एवं मोबाइल ड्यूटी लगाई जाएगी। साथ ही संभावित भीड़ नियंत्रण व आपात स्थिति से निपटने हेतु मॉक ड्रिल भी कराई जाए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शांति एवं सौहार्द के वातावरण में त्योहार सम्पन्न कराना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी अधिकारी सम्वेदनशीलता, सक्रियता एवं सतर्कता से कार्य करें। अंत में महोदय ने समस्त अधिकारियों से मैदान में सक्रिय रहकर जनसंपर्क करने, जनता में विश्वास बनाए रखने तथा किसी भी सूचना या विवाद पर तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 23.06.2025

पुलिस लाइन गोण्डा में प्रशिक्षण के दौरान फर्जी नियुक्ति पत्र के माध्यम से शामिल होने आया युवक गिरफ्तार-

दिनांक 22.06.2025 को पुलिस लाइन गोण्डा परिसर में चल रहे जे0टी0सी0 प्रशिक्षण के ज्वाइनिंग के संबंध में सभी कैडेट्स की व्यक्तिगत नियुक्ति पत्रावलियों का सत्यापन किया जा रहा था जिसके दौरान प्रशिक्षण में सम्मिलित एक कैडेट शुभम सिंह पुत्र उदयभान सिंह नि0 जलालपुर घई पोस्ट सुल्तानपुर बढाईया थाना गदागंज जनपद रायबरेली द्वारा प्रस्तुत नियुक्ति पत्र फ़र्ज़ी पाया गया । उपरोक्त के विरूद्ध JTC प्रभारी द्वारा दी गई तहरीर पर थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोपी शुभम सिंह पुत्र उदयभान सिंह को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया ।

मीडिया सेल, गोण्डा।